न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1257/2021

अनवान : –

1. जुगल किशोर पुत्र गणपत जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. बालुराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. गजानन्द पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. बाबुलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. रामप्रसाद पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

6. चन्द्रभान पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **वादी**

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 15/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के पुराने ख0न0 524 की 71 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता गणपत व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पिता उदमीराम व इनके भाई मुखराम के नाम से मुश्तरका खाता की भूमि थी जो बाद में उक्त तीनों भाइयों के नाम से अलग अलग दर्ज हो गयी।

उक्त पुराना ख0न0 के पैमाईश हाल में नये ख0न0 501 व 502 बना दिये गये लेकिन कालान्तर में उक्त नये ख0न0 में बटा न0 डालकर ख0न0 502/2 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज कर दी एवं ख0न0 502/3 की वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी स0 6 के नाम दर्ज कर दी जो की गलत दर्ज की गई। वादीगण के कब्जा काश्त में ख0न0 502/2 व 502/4 की भूमि इसी भूमि में से नहर निकली हुई है जिसका मुआवजा भी हम वादीगण द्वारा लिया गया है। प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में ख0न0 503/3 की भूमि है। उक्त वाद भूमि का पूर्व में एक वाद न्यायालय हाजा में बअनवानी गणपतराम बनाम उदमीराम प्रकरण स0 44/2006 पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता ने राजीनामा पेश किया था। लेकिन उक्त पर्चा डिक्री की पालना नही हो पाई एवं 12 वर्ष से अधिक समय हो गया इसलिए वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Gamwal
Date: 2025.04.22 17:22:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार ... के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देने ... दिन तक आजकल ... कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि के पुराना ख0न0 के पैमाईश हाल में नये ख0न0 501 व 502 बना दिये गये लेकिन कालान्तर में उक्त नये ख0न0 में बटा न0 डालकर ख0न0 502/2 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज कर दी एवं ख0न0 502/3 की वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी स0 6 के नाम दर्ज कर दी जो की गलत दर्ज की गई। वादीगण के कब्जा काश्त में ख0न0 502/2 व 502/4 की भूमि इसी भूमि में से नहर निकली हुई है जिसका मुआवजा भी हम वादीगण द्वारा लिया गया है। प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में ख0न0 503/3 की भूमि है। उक्त वाद भूमि का पूर्व में एक वाद न्यायालय हाजा में बअनवानी गणपतराम बनाम उदमीराम प्रकरण स0 44/2006 पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता ने राजीनामा पेश किया था। लेकिन उक्त पर्चा डिक्री की पालना नही हो पाई एवं 12 वर्ष से अधिक समय हो गया इसलिए वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 175/136 की कुल 12.8990 हैक्ट[illegible]दीगण व तरतीबी प्रतिवादी स0 6 एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 58/46 की कुल 12.6530 हैक्ट भूमि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि के पुराना ख0न0 के पैमाईश हाल में नये ख0न0 501 व 502 बना दिये गये लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.22 17:22:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कालान्तर में उक्त नये ख0न0 में बटा न0 डालकर ख0न0 502/2 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज कर दी एवं ख0न0 502/3 की वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी स0 6 के नाम दर्ज कर दी जो की गलत दर्ज की गई। वादीगण के कब्जा काश्त में ख0न0 502/2 व 502/4 की भूमि इसी भूमि में से नहर निकली हुई है जिसका मुआवजा भी हम वादीगण द्वारा लिया गया है। प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में ख0न0 503/3 की भूमि है। उक्त वाद भूमि का पूर्व में एक वाद न्यायालय हाजा में बअनवानी गणपतराम बनाम उदमीराम प्रकरण स0 44/2006 पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता ने राजीनामा पेश किया था। लेकिन उक्त पर्चा डिक्री की पालना नही हो पाई एवं 12 वर्ष से अधिक समय हो गया इसलिए वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 502/2 व 502/4 की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की बजाय वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी स0 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 502/3 की भूमि का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी स0 6 के बजाय प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि पक्षकारान के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.22 17:22:18 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1257/2021

अनवान : –

1. जुगल किशोर पुत्र गणपत जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. बालुराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. गजानन्द पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. बाबुलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. रामप्रसाद पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

6. चन्द्रभान पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1257 सन 2021 निर्णय दिनांक 15/04/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हरिसिंह सिंहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 502/2 व 502/4 की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की बजाय वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी स0 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 502/3 की भूमि का वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी स0 6 के बजाय प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि पक्षकारान के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.22 17:22:18 IST
Reason: SelfAttested